

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 9 नवम्बर 2016

विषय:- एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस0एच0-31 के किमी0 26.088 की बांयीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/06/29/2016/ एफसी/357, दिनांक 01-11-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 01-11-2016 प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।